



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण लेकर आए हैं विवादों से समाधान (VSSS) 2024

एचएसवीपी आवंटियों के लिए एन्हांसमेंट देय राशि का निपटान करने का एक सुनहरा अवसर!

इस योजना के तहत **140 सेक्टरों** में **6829 आवंटियों** को लाभ प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना के लाभार्थियों के लिए **550 करोड़** से अधिक रिबेट दिया जा रहा है।

इस स्कीम का लॉन्च **20-08-2024** को किया जाएगा और इस स्कीम की आखरी तारीख **19-02-2025** है।

यह योजना आवासीय भूखंडों/समूह आवास स्थलों/संस्थागत और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों पर लागू होगी। विवादों से समाधान 2024 का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए आवंटी एचएसवीपी वेबसाइट (www.hsvphry.org.in) पर जा सकते हैं।

योजना के तहत निपटान केवल उन आवंटियों को दिया जाएगा जो योजना की तारीख खतम होने से पहले एचएसवीपी के खाते में अपनी पूरी राशि जमा कर देंगे।

आवंटियों से अनुरोध है कि वह अपने प्रश्न/अभ्यावेदन एचएसवीपी के संबंधित एस्टेट कार्यालयों को भेजें। ऐसे आवंटी विवादों से समाधान 2024 के पोर्टल पर भी अपना प्रश्न/अभ्यावेदन दर्ज कर सकते हैं।



Chief Administrator
Haryana Shehri Vikas Pradhikaran
C-3, HUDA Complex, Sector 6,
Panchkula - 134109, Haryana,
Email: ao2branch24@gmail.com

हेल्पलाइन (टोल फ्री): 18001803030
विवादों से समाधान पोर्टल के लिंक के लिए
[Https://www.hsvphry.org.in](https://www.hsvphry.org.in) पर जाएं